# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## अपील संख्या : 15/35

1. उपवन संरक्षक अधिकारी कार्यालय उपवन संरक्षक अधिकारी सिविल लाइन्स, नयापुरा कोटा ।
2. सहायक वन संरक्षक कार्यालय सहायक वन सरंक्षक अधिकारी सिविल लाइन्स, नयापुरा कोटा ।
3. रेन्जर वन खण्ड ग्राम खेडा जगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. भारसाधक अधिकारी (एसएचओ) थाना अनन्तपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

**बनाम**

1. गिरिराज सिंह आत्मज स्व0 श्री तेजराजसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गेंता तहसील पीपल्दा जिला कोटा जरिये मुख्तार आम श्रीमती अन्जुम चौधरी पत्नी श्री एम0एस0 चौधरी जाति मुसलमान निवासी डी– 164 श्रीनाथपुरम, कोटा ।
2. श्रीमती इशरद असद पत्नी श्री असद अली जाति मुसलमान निवासी मकान नम्बर 812 मदारी दरोगा की गली लाडपुरा कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामबाबू मालब, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

**निर्णय** दिनांक: 17.02.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.12.2014 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 7/2 की 0.42 हैक्टर, खसरा

नम्बर 15/7 की 0.40 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 07 (7 /मिन06) की 1.86 हैक्टर भूमि में से खसरा नम्बर 7/6 (उत्तरी पश्चिमवर्ती) की 0.42 हैक्टर भूमि स्थित है । उपखण्ड अधिकारी, इटावा द्वारा सीलिंग प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 09.06.2010 एवं दिनांक 30.06.2010 तथा प्रस्तुत ऑप्शन के आधार पर फाइनल स्टेटमेंट जारी होने के उपरान्त उक्त भूमि प्रार्थी क्रम 01 के खाते में दर्ज हुई थी । उक्त भूमि पूर्व में प्रार्थी क्रम 01 के पिता श्री तेजराज सिंह जी एवं उनके स्वर्गवास के बाद प्रार्थी क्रम 01 एवं स्वर्गीय तेजराज सिंह जी के दीगर वारिसान के विरूद्ध चल रहे सीलिंग प्रकरण में अधिग्रहण की जाकर सिवायचक दर्ज की गई थी । सीलिंग प्रकरण में पूर्व में पारित आदेश दिनांक 07.08.2009 के विरूद्ध जिला कलक्टर, कोटा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत हुई जिसमें जिला कलक्टर कोटा ने उपखण्ड अधिकारी, इटावा द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर दिया । उक्त भूमि प्रार्थी क्रम 01 व उनके पूर्वजों के खाते एवं कब्जे में सन् 1944 के पूर्व से निरन्तर चली आ रही है । सीलिंग में अधिग्रहण होन पर सिवायचक दर्ज की गई थी । उक्त भूमि से वन विभाग का कोई सम्बन्ध नहीं है परन्तु वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी उक्त भूमि से वादी क्रम 01 व उनके पूर्वजों को बेदखल करने की धमकी दे रहे हैं । उपखण्ड अधिकारी, इटावा के न्यायालय द्वारा सीलिंग प्रकरण का निर्णय किया जा चुका है । निर्णय के उपरान्त उक्त भूमि नामान्तरकरण संख्या 34, 43 एवं 44 के जरिये प्रार्थी क्रम 01 के खाते दर्ज हुई । प्रार्थी क्रम 01 ने खसरा नम्बर 07 की 1.86 हैक्टर भूमि में से खसरा नम्बर 7/6 की 0.42 हैक्टर भूमि को प्रार्थिनी क्रम 02 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र से बेचान कर कब्जा संभला दिया । अप्रार्थी वन विभाग के कर्मचारी/अधिकारी एंव पुलिस वाले कुछ दिनों से प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । प्रथमदृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में हैं ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोआ की खसरा नम्बर 7/2 की 0.42 हैक्टर एवं 15/7 की 0.40 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 7/मिन06 की 1.86 हैकटर भूमि में से खसरा नम्बर 7/6 (उत्तरी पश्चिमवर्ती) की 0.42 हैक्टर भूमि में से अप्रार्थीग्ण स्वयं कोई हस्तक्षेप नहीं करे, उक्त भूमि पर से प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करें । वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने प्रतिनिधि द्वारा करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 17.12.2014 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2014 से व्यथित होकर अपीलान्ट अप्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किये बिना ही आदेश जारी किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी स्वीकार कर पूर्व के आदेश दिनांक 13.10.2014 को परिवर्तित करने का आदेश पारित किया है जबकि धारा 152 सीपीसी के अन्तर्गत केवल मात्र

लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त किया जा सकता है । वादग्रस्त आराजी राज्य आदेश क्रमांक एफ0 7 (157) राज0का0 62 दिनांक 24.05.62 के द्वारा वन विभाग के खाते में प्रकाशित होकर वन विभाग के कब्जे में चली आ रही है । उक्त भूमि वन विभाग के खाते में दर्ज है और वन संरक्षक अधिनियम 1980 के प्रावधाननुसार वन भूमि का उपयोग गैर वानिकी कार्यों के लिए बिना केन्द्र सरकारी की अनुमति के नहीं किया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.12.2014 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 152 सीपीसी स्वीकार करते हुए आदेश दिनांक 13.10.2014 को परविर्तित किया है । धारा 152 सीपीसी के तहत केवल लिपिकीय त्रुटि को ही सही किया जा सकता है । बिना किसी आधार के वादीगण रेस्पोडेन्ट का कब्जा मानते हुए जो आदेश पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण है । वादग्रस्त आराजी राज्य सरकार के आदेश से वन विभाग को अन्तरित की गई थी और वन विभाग के खाते में चली आ रही है । भूमि का उपयोग गैर वानिकी कार्यो में नहीं किया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.12.2014 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 17.12.2014 को जो आदेश पारित किया गया था वो अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश था जो आगामी तारीख तक दिया गया था । यह आदेश धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रदान किया गया था जिसके खिलाफ अपील मेन्टेनेबल नहीं है । चूँकि आदेश आगामी तारीख तक था इस कारण अपील Infructuous हो चुकी है । यथा स्थिति के आदेश से अपीलान्ट व्यथित पक्षकार नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.12.2014 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 2000 पेज 441, डीएनजे 2010 (3) (राज0) पेज 1274 उद्धरत की ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 13.10.2014 को प्रार्थना पत्र दर्ज करते हुए आगामी तारीख दिनांक 20.11.2014 तक के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है । इसके उपरान्त दिनांक 17.12.2014 को अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए मौका एवं रिकॉर्ड की यथा स्थिति को विलोपित करते हुए प्रतिपक्षीगण को वादग्रस्त आराजी पर हस्तक्षेप नहीं करने, बेदखल न करने हेतु अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 27.01.2015 तक जारी की है । चूँकि अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.01.2015 तक के लिए जारी की गई थी ऐसी स्थिति में हम इस प्रकरण को उभय पक्ष को सुनते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करने

हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के द्वारा उद्धरत नजीर 2004 2000 पेज 441 यहॉ चस्पा होती है ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.12.2014 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से पत्रावली प्राप्ति के 01 माह के अन्दर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 23.03.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 17.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/2/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा